राजस्व वाद २७५/2021
जीसीएमएस नंबर–
शंकरलाल बनाम् मदनलाल वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :२७५/2021

वादीगण–
1. शंकरलाल पुत्र हरदीनराम
जाति–जाट निवासी–दोतिणा तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. मदनलाल पुत्र हरदीनराम
2. तेजाराम पुत्र हरदीनराम
3. सीता पुत्री हरदीनराम
4. गीता पुत्री हरदीनराम
5. कम्मा पुत्री हरदीनराम
जातियान–जाट निवासीगण–दोतिणा तहसील–जायल, जिला–नागौर।
6. सरकार जरिये तहसीलदार जायल
7. मैनेजर जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा तरनाउ
8. मैनेजर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा मेड़ता सिटी

उपस्थिति :–
1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित
4. प्रतिवादी संख्या 7 व 8 परर्फोमा पक्षकार।

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक : 02/12/2021**

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा दोतिणा तहसील जायल में खेत खसरा नं. 253/409 रकबा 3.8607 हैक्टेयर, खसरा नंबर 253 रकबा 3.9416 हैक्टेयर, खसरा नंबर 253/410 रकबा 3.9416 हैक्टेयर, खसरा नंबर 445/253 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नंबर 192 रकबा 2.5010 हैक्टेयर , खसरा नंबर 320 रकबा 1.7240 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2074 की आखातीज को वाद के पैरा संख्या 2 के (क से ड़) के अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी शंकरलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दोतिणा का खेत खसरा

02/12/2021
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

नंबर 192 रकबा 2.5010 हैक्टेयर में से रकबा 1.2505 हैक्टेयर उतरी हिस्सा नजरीनक्शानुसार तथा खेत खसरा नंबर 320 रकबा 1.7240 हैक्टेयर में से रकबा 0.1578 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 253/410 रकबा 3.9416 हैक्टेयर में से 3.8969 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी मदनलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दोतिणा का खेत खसरा नंबर 320 रकबा 1.7240 हैक्टेयर में से रकबा 1.3380 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार तथा खेत खसरा नंबर 253 रकबा 3.9416 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 253/409 रकबा 3.8607 हैक्टेयर में से 0.0256 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी तेजाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दोतिणा का खेत खसरा नंबर 192 रकबा 2.5010 हैक्टेयर में से रकबा 1.2505 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा नजरीनक्शानुसार तथा खेत खसरा नंबर 320 रकबा 1.7240 हैक्टेयर में से रकबा 0.2145 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 253/410 रकबा 3.9416 हैक्टेयर में से 0.0447 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 253/409 रकबा 3.8607 हैक्टेयर में से रकबा 3.7752 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 445/253 रकबा 0.0809 हैक्टेयर में से रकबा 0.0208 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। वादी शंकरलाल व प्रतिवादी मदनलाल व तेजाराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दोतिणा का खेत खसरा नंबर 320 रकबा 1.7240 हैक्टेयर में से रकबा 0.0137 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 253/409 रकबा 3.8607 हैक्टेयर में से रकबा 0.0397 व 0.0202 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 445/253 रकबा 0.0809 हैक्टेयर में से रकबा 0.0606 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी सीता, कम्मा, गीता के मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है क्यों कि इनको बंट में नगदी , जेवरात प्राप्त कर लेने से इन खेताय में से कोई हक बंट नहीं रखा गया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग-अलग सींव-नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने दिनांक 02.12.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प शिविर ग्राम पंचायत सांडिला में राजीनामा पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 स्वयं प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। वाद पत्र में मुतदाविया भूमियां बैंक के रहन होने से प्रतिवादी संख्या 7 व 8 भी परर्फोमा पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

से 5 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 8 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह शंकरराम पुत्र हरदीनराम, मदनलाल, तेजाराम पुत्रगण हरदीनराम, सीता, कम्मा, गीता पुत्रिया हरदीनराम तथा नकल जमाबन्दी ग्राम तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 115 प्रदर्श–1 , खाता संख्या 312 प्रदर्श–2, खाता संख्या 311 प्रदर्श–3, खाता संख्या 217 प्रदर्श–4, खाता संख्या 308 प्रदर्श–5 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज एवं माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 02.12.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकोर एवं 7 से 8 मैनेजर जयपुर थार बैंक ग्रामीण शाखा तरनाउ व मैनेजर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा मेड़तासिटी को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा नजरीनक्शानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 02.12. 2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

हमारी राय में मौजा दोतीणा के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 253/409 रकबा 3.8607 हैक्टेयर, खसरा नंबर 253 रकबा 3.9416 हैक्टेयर, खसरा नंबर 253/410 रकबा 3.9416 हैक्टेयर, खसरा नंबर 445/253 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नंबर 192 रकबा 2.5010 हैक्टेयर , खसरा नंबर 320 रकबा 1.7240 हैक्टेयर की भूमियां का वाद पत्र इस्तदुआ एवं संलग्न नजरीनक्शानुसार जरिये राजीनामा हक बंटवाड़ा चाहा है। मुतदाविया खेतायों में प्रतिवादी संख्या 3 से 5 सीता, गीता, कम्मा के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है , ना ही अन्य जगह भूमि होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का नियमुनसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा दोतीणा के खेत खसरा नंबर 253/409 रकबा 3.8607 हैक्टेयर, खसरा नंबर 253 रकबा 3.9416 हैक्टेयर, खसरा नंबर 253/410 रकबा 3.9416 हैक्टेयर, खसरा नंबर 445/253 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नंबर 192 रकबा 2.5010 हैक्टेयर , खसरा नंबर 320 रकबा 1.7240 हैक्टेयर की भूमि का बंटवाड़ा सहखातेदार पक्षकारानों के मध्य मुताबिक वाद पत्र इस्तदुआ एवं सहमति राजीनामा अनुसार घोषित कर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा दोतीणा के खेत खसरा नंबर 253/409 रकबा 3.8607 हैक्टेयर, खसरा नंबर 253 रकबा 3.9416 हैक्टेयर, खसरा नंबर 253/410 रकबा 3.9416 हैक्टेयर, खसरा नंबर 445/253 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नंबर 192 रकबा 2.5010 हैक्टेयर , खसरा नंबर 320 रकबा 1.7240 हैक्टेयर की भूमि का बंटवाड़ा सहखातेदार पक्षकारानों के मध्य मुताबिक वाद पत्र इस्तदुआ एवं सहमति राजीनामा अनुसार घोषित कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है। वाद पत्र में सलंग्न नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न अंग है।

1. वादी शंकरलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दोतिणा का खेत खसरा नंबर 192 रकबा 2.5010 हैक्टेयर में से रकबा 1.2505 हैक्टेयर उतरी हिस्सा नजरीनक्शानुसार तथा खेत खसरा नंबर 320 रकबा 1.7240 हैक्टेयर में से रकबा 0.1578 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 253/410 रकबा 3.9416 हैक्टेयर में से 3.8969 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी मदनलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दोतिणा का खेत खसरा नंबर 320 रकबा 1.7240 हैक्टेयर में से रकबा 1.3380 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार तथा खेत खसरा नंबर 253 रकबा 3.9416 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 253/409 रकबा 3.8607 हैक्टेयर में से 0.0256 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

3. प्रतिवादी तेजाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दोतिणा का खेत खसरा नंबर 192 रकबा 2.5010 हैक्टेयर में से रकबा 1.2505 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा नजरीनक्शानुसार तथा खेत खसरा नंबर 320 रकबा 1.7240 हैक्टेयर में से रकबा 0.2145 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 253/410 रकबा 3.9416 हैक्टेयर में से 0.0447 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 253/409 रकबा 3.8607 हैक्टेयर में से रकबा 3.7752 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 445/253 रकबा 0.0809 हैक्टेयर में से रकबा 0.0208 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

4. वादी शंकरलाल व प्रतिवादी मदनलाल व तेजाराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दोतिणा का खेत खसरा नंबर 320 रकबा 1.7240 हैक्टेयर में से रकबा 0.0137 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 253/409 रकबा 3.8607 हैक्टेयर में से रकबा 0.0397 व 0.0202 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 445/253 रकबा 0.0809 हैक्टेयर में से रकबा 0.0606 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

5. **प्रतिवादी संख्या 3 से 5 कमश सीता,गीता, कम्मा के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

नोट– विवादग्रस्त खसरान् के बैंक रहन के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 02/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

02/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 275/2021
जीसीएमएस नंबर–
शंकरलाल बनाम् मदनलाल वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादीगण– राजस्व वाद संख्या : /2021

1. शंकरलाल पुत्र हरदीनराम जाति–जाट निवासी–दोतिणा तहसील–जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मदनलाल पुत्र हरदीनराम
2. तेजाराम पुत्र हरदीनराम
3. सीता पुत्री हरदीनराम
4. गीता पुत्री हरदीनराम
5. कम्मा पुत्री हरदीनराम
   जातियान–जाट निवासीगण–दोतिणा तहसील–जायल, जिला–नागौर।
6. सरकार जरिये तहसीलदार जायल
7. मैनेजर जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा तरनाउ
8. मैनेजर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा मेड़ता सिटी

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित
4. प्रतिवादी संख्या 7 व 8 परर्फोमा पक्षकार।

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री गोविन्द राम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हाजरी श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि– यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा दोतीणा के खेत खसरा नंबर 253/409 ,खसरा नंबर 253,खसरा नंबर 253/410,खसरा नंबर 445/253, खसरा नंबर 192, खसरा नंबर 320 की भूमि का बंटवाड़ा सहखातेदार पक्षकारानों के मध्य मुताबिक वाद पत्र इस्तदुआ एवं सहमति राजीनामा अनुसार घोषित कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है। वाद पत्र में सलंग्न नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न अंग है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

1. वादी शंकरलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दोतिणा का खेत खसरा नंबर 192 रकबा 2.5010 हैक्टेयर में से रकबा 1.2505 हैक्टेयर उतरी हिस्सा नजरीनक्शानुसार तथा खेत खसरा नंबर 320 रकबा 1.7240 हैक्टेयर में से रकबा 0.1578 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 253/410 रकबा 3.9416 हैक्टेयर में से 3.8969 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी मदनलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दोतिणा का खेत खसरा नंबर 320 रकबा 1.7240 हैक्टेयर में से रकबा 1.3380 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार तथा खेत खसरा नंबर 253 रकबा 3.9416 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 253/409 रकबा 3.8607 हैक्टेयर में से 0.0256 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी तेजाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दोतिणा का खेत खसरा नंबर 192 रकबा 2.5010 हैक्टेयर में से रकबा 1.2505 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा नजरीनक्शानुसार तथा खेत खसरा नंबर 320 रकबा 1.7240 हैक्टेयर में से रकबा 0.2145 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 253/410 रकबा 3.9416 हैक्टेयर में से 0.0447 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 253/409 रकबा 3.8607 हैक्टेयर में से रकबा 3.7752 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 445/253 रकबा 0.0809 हैक्टेयर में से रकबा 0.0208 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. वादी शंकरलाल व प्रतिवादी मदनलाल व तेजाराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दोतिणा का खेत खसरा नंबर 320 रकबा 1.7240 हैक्टेयर में से रकबा 0.0137 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 253/409 रकबा 3.8607 हैक्टेयर में से रकबा 0.0397 व 0.0202 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 445/253 रकबा 0.0809 हैक्टेयर में से रकबा 0.0606 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
5. **प्रतिवादी संख्या 3 से 5 कमश सीता,गीता, कम्मा के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का नियमुानसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

नोट– विवादग्रस्त खसरान् के बैंक रहन के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 02/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

02/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 275/2021
जीसीएमएस नंवर–
शंकरलाल बनाम् मदनलाल वगैरह

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.12.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

02.12.2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर (आर.जी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner